उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
19, सी, तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/ विज्ञप्ति
(वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के 32 रिक्त पदों पर विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन के सम्बन्ध में दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को सम्पन्न लिखित परीक्षा के प्रश्नों एवं उनके उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के परीक्षणोंपरान्त निरस्त प्रश्नों व संशोधित उत्तर विकल्पों का प्रकाशन

संख्या : पीआरपीबी-चार-12(18)/2020 (भाग-4) दिनांक : दिसम्बर 16, 2021

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के 32 रिक्त पदों पर विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन हेतु दिनांक 31-10-2021 को सम्पन्न हुई प्रथम चरण की लिखित परीक्षा की प्रश्नपुस्तिका, सीरीज के अनुसार उत्तरकुंजी, ओएम0आर0 उत्तर पत्रक का पार्ट-ए एवं पार्ट-बी तथा प्रवेश पत्र की प्रतिकृति (Image) बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर दिनांक 03-11-2021 से 15-11-2021 तक प्रदर्शित कर उपरोक्त सूचना/अभिलेखों तथा प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति होने की दशा में दिनांक 15-11-2021 तक आपत्तियॉ आमन्त्रित की गयीं थी।

2- अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नों एवं उनके उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में प्रेषित आपत्तियों के परीक्षणोपरान्त एवं विषय विशेषज्ञ की संस्तुतियों के आधार पर प्रश्न/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने के कारण 06 प्रश्नों को निरस्त किये जाने तथा 04 प्रश्नों के उत्तर विकल्प परिवर्तित/संशोधित किये गये हैं। निरस्त प्रश्नों एवं संशोधित उत्तर विकल्पों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(क) निरस्त किये गये प्रश्नों का विवरण

क्र0सं0	प्रश्न संख्या (सीरीज के अनुसार)				टिप्पणी
	सीरीज-1	सीरीज-2	सीरीज-3	सीरीज-4	
1	01	21	16	6	निरस्त
2	36	55	71	90	निरस्त
3	54	30	42	96	निरस्त
4	59	109	82	66	निरस्त
5	77	37	103	44	निरस्त
6	101	73	46	80	निरस्त

(ख) उत्तर विकल्प संशोधित किये गये प्रश्नों का विवरण

क्र0सं0	प्रश्न संख्या (सीरीज के अनुसार)				उत्तर कुंजी	संशोधित उत्तर कुंजी
	सीरीज-1	सीरीज-2	सीरीज-3	सीरीज-4		
1	21	16	11	1	A	B
2	34	53	69	88	B	C
3	51	86	63	31	B	D
4	73	107	80	56	A	C

3- बोर्ड की समांक सूचना/विज्ञप्ति दिनांकित 03-11-2021, जिसके द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्नों एवं उनके उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में आपत्तियॉ आमन्त्रित की गयीं थी, के द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया जा चुका है कि निरस्त प्रश्नों के अंकों गणना रिट याचिका संख्या-2669/2009(एम0बी0) पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

4- यद्यपि उक्त सूचना वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनींकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा/अनुमन्य होगा। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए है। अत: जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अथवा अन्य माध्यमों से पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

16.XII.2021

अपर सचिव-प्रोन्नति,
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।